बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक–07/3/2019

संख्या–1/श्रम वि०स्था० (1) 10–07/2019 श्र०सं०.....228...../बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के सहायक श्रमायुक्त, वेतन स्तर 11 के पदाधिकारी **श्री विजय कुमार,** वरीयता क्रमांक 18, सहायक श्रमायुक्त, गया को उप श्रमायुक्त, वेतन स्तर 12 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से स्थानापन्न प्रोन्नति दी जाती है।

2. मुहरबंद लिफाफा में रखे गये श्री आदित्य राजहंस के प्रोन्नति विषयक अनुशंसा से प्राप्त रिक्ति के विरूद्ध उक्त प्रोन्नति इस शर्त्त के साथ दी जा रही है कि भविष्य में श्री आदित्य राजहंस को प्रोन्नति दी जाती है, तो वैसी स्थिति में प्रावधानानुसार श्री विजय कुमार को पदावनत (रिवर्ट) किया जा सकेगा ।

3. पदस्थापन के पश्चात् पदभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 9706, दिनांक 20.7.18 के आधार पर उक्त सभी पदाधिकारियों को दी जाने वाली प्रोन्नतियाँ औपबन्धिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील सं० 4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मणि 7/3/19

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–1/श्रम वि०स्था० (1) 10–07/2019 श्र०सं०.....228...../पटना–15, दिनांक–07/3/2019

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मणि 7/3/19

सरकार के उप सचिव